कार्यालय केन्द्रीय नजारत ,जनपद न्यायालय सहारनपुर।

नीलामी सूचना/विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय सहारनपुर में लकडी व लोहे की टूटी कुर्सियां, टेबल, स्टूल, आदि निष्प्रयोज्य फर्नीचर की सार्वजनिक नीलामी यथास्थान व स्थिति में दिनांक 20–8–2016 को अपराह्न 2 बजे लोक अदालत की बगल में मीटिंग हाल ,जजी सहारनपुर में सम्पन्न होगी।

नीलामी हेतु नियम व शर्ते निम्नवत हैं–

1–नीलाम किऐ जाने वाले उक्त फर्नीचर का अवलोकन सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे कार्यालय नजारत जजी सहारनपुर में कर सकतें हैं।

2–विभाग का कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नीलामी निष्प्रयोज्य फर्नीचर क्रय करने में भाग नहीं लेगा।

3–प्रत्येक बोली कर्ता को अपना पहचान पत्र फोटोयुक्त नीलामी से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

4–यदि नीलामी के बाद निष्प्रयोज्य फर्नीचर से कोंई विभाग की महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होती है तो वह नीलामी लेने वाले को विभाग को वापिस करनी होगी।

5–किसी भी उच्चतम बोली /अपर्याप्त बोली /पर्याप्त संख्या में बोली लगाने वालो के न होने के कारण को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर के पास सुरक्षित है।

6–बोली स्वीकृत होने के उपरान्त अविलम्ब बोली की सम्पूर्ण धनराशि एक–मुश्त केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करनी होगी।

7–नीलामी लेने वाला व्यक्ति किसी भी दशा में नीलामी वापिस नहीं कर सकेगा।

8–नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने के लिये कम से कम 5000/–रूपये धरोहर के रूप मे केन्द्रीय नाजिर के पास उसी दिन प्रातः जमा करने होगें, अधिकतम बोली बोलने वाले की धरोहर राशि छोड कर शेष बोली बोलने वालों की धरोहर राशि नीलामी के पश्चात उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

27/7/2016

(बबीता रानी)

सदस्य समिति

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

प्रभारी प्रशासन सहारनपुर।

नीलामी की सूचना एवं शर्ते निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये–

1– कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

2– सिस्टम ओफिसर जनपद न्यायाधीश सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि इसे जनपद न्यायालय की वेववाईड पर अपलोड करे।

4– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रा0 लो0 नि0 वि0 सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5– अमीन सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु ।

6– केन्द्रीय नाजिर जनपद सहारनपुर को सभी दृश्यमान स्थानों पर चस्पा कराने हेतु ।

7– वाहय न्यायालय देवबन्द के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

8– जिला सूचना अधिकारी सहारनपुर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

9– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहारनपुर को सहारनपुर की वेवसाईड पर अपलोड कराने हेतु।

27/07/2011

(बबीता रानी)
सदस्य समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
प्रभारी प्रशासन सहारनपुर।

केन्द्रीय नाजिर उपरोक्त का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करे और अपनी आख्या तीन दिन में समिति को प्रस्तुत करे।

27/07/2011

(बबीता रानी)
सदस्य समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
प्रभारी प्रशासन सहारनपुर।